सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 01/17 **निर्णय दिनांक 18/12/2017**

1. फूसाराम पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी थावरिया तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नोखा।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, नोखा

दिनांक 27—03—2015

उपस्थितः—

1. श्री सुमेरदान बीठू, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी नोखा के आदेश दिनांक 27–03–2015 जिसके द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि ग्राम थावरिया के खेत खसरा नम्बर 1158 तादादी 21.37 हेक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार खातेदारी भूमि चली आ रही है। अपीलांट द्वारा उक्त भूमि पर बैंक से ऋण भी ले रखा है। जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड में अंकित चला आ रहा है। वादगत् भूमि अपीलांट की स्वअर्जित भूमि है जिसमें उसके वारिसान अथवा अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है। बल्कि वादगत् आराजी उसके कब्जे काश्त में चली आ रही है। चूंकि वादगत् आराजी अपीलांट की स्वअर्जित भूमि है तथा स्वअर्जित भूमि में पूर्वजों का कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है। फिर भी रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट की भूमि कुर्क करने की कार्यवाही करने पर अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष चिरनिषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करके अपीलांट की भूमि कुर्क नहीं करने की मांग की गई। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 02–08–2013 को रेस्पोडेन्ट के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई तथा पत्रावली वास्ते तलबी चल रही थी। अदालत मातहत द्वारा बिना जॉच किये बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट के विरूद्व किसी प्रकार की वसूली बकाया नहीं होने पर भी राजकीय अभिभाष कद्वारा गलत बयानी करके कहा गया कि अपीलांट के विरूद्व राजकीय करों कीवसूली की जानी है। जबकि अपीलांट को आज दिनांक तक कोई कुर्की वारंट जारी नहीं किये गये है। केवल मात्र मौखित कथनों के आधार पर बिना किसी सबूत व साक्ष्य के अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो कतई सही नहीं है। वादगत् भूमि पर अधिकारों का निर्णय दावे में तय होना है। अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण तथ्य प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर कोई विवेचना ना करते हुए मात्र अपीलांट को नुकसान पहुॅचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

मियांद के बिन्दु पर अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर बिना अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। ऐसे एकतरफा आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर शुमार घोषित की जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने मियांद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 27—03—2015 को पारित किया गया है। उक्त आदेश की कानूनन अपील की अवधि 60 दिवस निर्धारित है। अपीलांट द्वारा आदेश जैर अपील पारित होने के करीब 9 माह उपरान्त न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई संतोषजनब कारण मियांद प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है। जिससे साबित हो कि उसके द्वारा अपील प्रस्तुत करने में जानबूझकर विलम्ब नहीं किया गया हो।

उन्होंने आगे बहस में बताया कि वादगत् भूमि ग्राम थावरिया के खेत खसरा नम्बर 1158 तादादी 21.3700 हेक्टर भूमि फूसाराम पुत्र नारायणराम जाति जाट के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि में से 3.05 हेक्टर भूमि जो फूसाराम के पुत्र केशुराम के हिस्से में आती है व अलग से केशुराम के कब्जे काश्त में है एवं नोशनल शेयर में उसके हिस्से में आती है। उक्त भूमि को माननीय जिला कलेक्टर, बीकानेर के वसूली प्रकरण राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 256—257 के अन्तर्गत प्रकरण इजराय दीवानी संख्या 38/12 में न्यायाधीश मोटरयान दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण रतनगढ़ जिला चूरू में केसूराम की कब्जे शुदा भूमि को नोशनल शेयर मानते हुए 3.05 हेक्टर भूमि को कुर्क किया गया था। उक्त कुर्की आदेश के आधार पर ही अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि ग्राम थावरिया तहसील नोखा के खेत खसरा नम्बर 1158 तादादी 21.37 हेक्टर भूमि जो कि अपीलांट के नाम से राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदारी चली आ रही है तथा अपीलांट द्वारा बैंक से ऋण भी ले रखा है के बाबत् एक वाद अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत करते हुए दिनांक 02—08—2013 को वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने के आदेश प्रदान किये गये।

(2) प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष पैराकार राज द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। हमने पैरोकाराज के जवाब व अदालत मातहत की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। जवाब पैरोकारराज के अवलोकन मात्र से यह तथ्य स्पष्ट है कि वादगत् भूमि खेत खसरा नम्बर 1158 तादादी 21.37 हेक्टर भूमि फूसाराम पुत्र नारायणराम जाति जाट के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादगत् भूमि में केशूराम आदि पॉच भाई एवं एक बहिन व पिता का हिस्सा करने पर उक्त भूमि में से 3.05 हेक्टर भूमि फूसराम के पुत्र केशुराम के हिस्से में आती है, तथा उक्त भूमि पर केशुराम का कब्जे काश्त में है जो कि नोशनल शेयर में उसके हिस्से में आती है। उक्त भूमि को कुर्क कर दिनांक 01—08—2014 को कब्जा बहक सरकार लिया जा चुका है।

(3) प्रकरण में माननीय जिला कलेक्टर, बीकानेर के वसूली राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 256—257 के अन्तर्गत प्रकरण इजराय दीवानी संख्या 38/12 में न्यायाधीश मोटरयान दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण रतनगढ़ जिला चूरू में केसूराम की

कब्जे शुदा भूमि को नोशनल शेयर मानते हुए 3.05 हेक्टर भूमि को कुर्क किया गया था। उक्त कुर्की आदेश के आधार पर ही अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है।

(4) चूंकि अदालत मातहत द्वारा माना गया है कि वादगत् भूमि एक मौरूषी भूमि है जिसमें उसके पुत्रों/पुत्रियों का जन्म से हक व अधिकार निहित है व वादगत् भूमि के माननीय न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा, रतनगढ़ की इजराय पत्रावली संख्या 38/12 में प्रदत निर्देशों की पालना में केशूराम के नोशनल शेयर की भूमि तहसीलदार, नोखा द्वारा दिनांक 01—08—2014 को कुर्क कर कब्जा बहक सरकार लिया जा चुका है। अदालत मातहत द्वारा इसी आधार पर अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जो विधि सम्मत है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, नोखा का आदेश दिनांक 27—03—2015 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)

राजस्व अपील प्राधिकारी

बीकानेर